



लखनऊ विकास प्राधिकरण

—: आवश्यक सूचना :—

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जिन आवंटियों के पक्ष में भूखण्ड आवंटित हैं और उसके सापेक्ष 90 प्रतिशत से अधिक धनराशि जमा है, परन्तु किसानों से विवाद/सेना से विवाद / ग्रीन बैल्ट से प्रभावित होने/स्थल पर भूखण्ड के मिसिंग होने, कब्रिस्तान, मजार से प्रभावित होने, आदि के कारण उक्त भूखण्ड का निबन्धन व कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटियों की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु एवं लगभग अल्प भू-उपलब्धता के दृष्टिगत निम्नलिखित ऑफर दिया जाता है कि

आप उपरोक्त भूखण्ड के स्थान पर निम्नलिखित अपार्टमेंट्स में वैकल्पिक सम्पत्ति फ्लैट पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर समायोजन करा सकते हैं, जिसमें आपको निम्नानुसार छूट भी अनुमन्य होगी :-

क्र. सं.	योजना का नाम	फ्लैट का प्रकार	वर्तमान अनुमानित विक्रय मूल्य (लाख में)	सुपर/ विल्टप एरिया (वर्ग मी०)	रिक्त फ्लैट की संख्या (अनुमानित)	प्रस्तावित छूट (%)
1.	सरगम अपार्टमेंट जानकीपुरम विस्तार सेक्टर-जे	3BHK	55.49	139.16	180	18
2.	सरगम अपार्टमेंट जानकीपुरम विस्तार सेक्टर-जे	4BHK	68.03	168.76	107	18
3.	सरगम अपार्टमेंट जानकीपुरम विस्तार सेक्टर-जे	2BHK+Study	43.50	114.8	1	18
4.	सोपान इन्वलेव प्रियदर्शनी योजना-I	2BHK Type-I	49.06	102.15	129	18
5.	सोपान इन्वलेव प्रियदर्शनी योजना-II	2BHK Type-I	48.12	100.20	129	18
6.	मृगशिरा, सेक्टर-पी, मानसरोवर योजना कानपुर रोड।	2BHK Type-A	47.07	93.70	58	18
7.	श्रवण अपार्टमेंट, सेक्टर-ई, कानपुर रोड।	Type-A	60.79	105.89	115	18
8.	सरयू अपार्टमेंट, गोमती नगर विस्तार योजना।	3BHK Type-A 3BHK Type-B 3BHK Type-C	86.76 83.32 96.37	142.6 136.95 158.39	7 8 1	20

प्राधिकरण द्वारा आवंटीगणों के हित में यह सुविधा दी गयी है कि फ्लैट लेने पर फ्लैट की वर्तमान मूल्य पर 18 प्रतिशत छूट दिये जाने व सरयू अपार्टमेंट में उपलब्ध फ्लैटों पर 20 प्रतिशत छूट दी जायेगी। आवंटियों से अवशेष देय धनराशि पर 11 प्रतिशत ब्याज सहित 2 वर्षों की त्रैमासिक किश्तों का निर्धारण किया जायेगा। आपकी मूल जमा धनराशि एवं उस पर 9 प्रतिशत साधारण ब्याज दिनांक 31.12.2017 तक आगणित करके कुल धनराशि फ्लैट की कीमत में समायोजित की जायेगी। समायोजन के उपरान्त देय अवशेष धनराशि की सूचना दी जायेगी। इस देय धनराशि को 45 दिन में जमा करने पर उन्हें समायोजित फ्लैट के विक्रय मूल्य की 75 प्रतिशत धनराशि अथवा मांगी जा रही अवशेष धनराशि (दोनों में से जो कम हो) पर 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यदि आवंटी फ्लैट लेने के इच्छुक नहीं हैं तो वे 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अपनी धनराशि वापस ले सकते हैं। यदि आवंटी दोनों विकल्पों से सहमत नहीं हैं, तो विवाद के समाधान होने तक उन्हें प्रतीक्षा करनी होगी। उपरोक्तानुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रथम विकल्प पर सहमत होने की दशा में कट-ऑफ-डेट 31 मार्च, 2018 होगी। यदि नियत तिथि तक उपरोक्त में से किसी भी विकल्प में सहमति नहीं दी जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि विवाद समाधान होने तक आप प्रतीक्षा करेंगे। नवीन आवेदक भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपरोक्त योजनाओं में फ्लैट आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नवीन आवेदकों को मूल्य में छूट अनुमन्य नहीं होगी। पहले आओ पहले पाओ का काउण्टर प्राधिकरण भवन के ग्राउण्ड फ्लोर पर कमेटी हॉल में बनाया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए नोडल अधिकारी (डी. एम. कटियार, संयुक्त सचिव) के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


(डी० एम० कटियार)
संयुक्त सचिव